



विद्या विकास समिति, झारखण्ड

(विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध)

शुक्ला कॉलोनी, हिनू, पत्रा-डोरण्डा, राँची - 834002

E-mail - vidyavikas1@dataone.in, ks_dhananjay@yahoo.co.in

TeleFAX - 065-2506233 2250341

दिनांक : 2

संख्या : 175/4655/11-12

प्रतिष्ठा में,

प्रधानाचार्य,

शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर, (उच्च विद्यालय) लोहरदगा, पिन - 835302

विषय :- विद्यालय संबद्धता पत्र

महाशय,

आपके पत्रांक-25/2011-12 दिनांक 20.12.2011 प्राप्त हुआ। पत्र के आलोक में नूचित क्रिय जता है कि आपका विद्यालय पूर्व से संबद्ध है। संबद्धता निम्नलिखित शर्तों के आधार दिया गया है।

1. विद्यालय का नाम निम्नलिखित होगा - जिसका उल्लेख पत्राचार एवं पट्ट आदि में होगा।
शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर, (उच्च विद्यालय) लोहरदगा, पिन-835302
संबद्ध - विद्या विकास समिति, झारखण्ड, शुक्ला कॉलोनी, हिनू, राँची
निबंधन संख्या-927/08-09, प्रतीक चिह्न - 
 2. प्रदेश द्वारा प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी।
 3. आचार्य भी स्नातक प्रशिक्षित हो यहाँ अपेक्षा है।
 4. आचार्य नियुक्ति "आचार्य नियमावली" के आधार पर प्रदेश द्वारा होगी।
 5. स्थानीय समिति का गठन प्रांत द्वारा प्रतिनियुक्त किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही होगा।
 6. विद्यालय व्यवस्था समिति में प्रदेश द्वारा चयनित न्यूनतम दो सदस्य रहेंगे एवं व्यवस्था समिति प्रत्येक वर्ष वैधानिक मान्यता के अनुसार कार्य करेगी।
 7. विद्यालय व्यवस्था समिति से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद या झारखण्ड अभिविद्य परिषद से सम्बन्ध बनाने का प्रयास अपेक्षित है।
 8. समय-समय पर प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में विद्यालय के प्रधानाचार्य, आचार्य/महिला आचार्य को भाग लेना अपेक्षित है।
 9. परीक्षा संचालन एवं पत्रिका का प्रकाशन प्रदेश के माध्यम से होगा।
 10. प्रधानाचार्य, आचार्य/महिला आचार्य एवं भैया/बहनों का वेश तथा प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम प्रदेश द्वारा निर्धारित लागू रहेगा।
 11. प्रति शिशु प्रति वर्ष मासिक शुल्क के बराबर प्रांतीय निधि प्रदेश को देय होगा।
 12. प्रदेश के निरीक्षक के निरीक्षण वृत्त के आधार पर विद्यालय व्यवस्था में संशोधन एवं परिवर्तन आवश्यक होने पर।
 13. विद्यालय व्यवस्था में कोई नवीन योजना क्रियान्वयन करने के पूर्व प्रदेश से परामर्श लेना आवश्यक होगा।
- उपरोक्त शर्तों में प्रदेश द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन एवं परिमार्जन संभव है। जिसको सचन अनुसार करना होगा।

प्रधानाचार्य
शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर, लोहरदगा
संवि.
शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर
लोहरदगा

सचिव
शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर
लोहरदगा

भवदीय
प्रदेश मंत्री
विद्या विकास समिति, झारखण्ड

23

Nº 005108



संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 927.

वर्ष 2008-2009.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

विद्या विकास समिति झारखण्ड

प्रधानाचार्य
शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मन्दिर
लोहरदगा.

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख ०२ मास जनवरी वर्ष दो हजार को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।



प्रति, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।
प्रधानाचार्य
शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मन्दिर
लोहरदगा.

टिप -
निबन्धित संस्था का नाम = विद्या विकास समिति झारखण्ड
निबन्धित संख्या = 1082/994-05
श्रीमंत वेणु प्रसाद, राँची ।
सचिव
शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मन्दिर
लोहरदगा.